पांचवीं अनुसूची

(धारा 82 देखिए)

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के उपबंध जिसका संशोधन किया जाना है	**संशोधन**	**संशोधन के प्रभाव की अवधि**
(1)	(2)	(3)
तारीख 21 जून, 2001 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 444(अ) द्वारा यथा प्रकाशित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 का नियम 18 ।	केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (सं. 2) नियम, 2001 के नियम 18 में, स्पष्टीकरण के पहले निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :— "परंतु यह कि कारखाने से निर्यात के लिए निकाले गए उत्पाद-शुल्क्य माल पर संदत्त शुल्क का रिबेट संदत्त शुल्क के उस भाग के लिए भी अनुज्ञेय होगा जिसके लिए भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [32/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999] सा.का.नि. 509(अ), तारीख 8 जुलाई, 1999 [33/99-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 8 जुलाई, 1999], सा.का.नि. सं. 565(अ), तारीख 31 जुलाई, 2001 [39/2001-केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 31 जुलाई, 2001], के निबंधनों के अनुसार प्रतिदाय अनुदत्त किया गया है ।"।	1 जुलाई, 2001 से 28 फरवरी, 2002 तक (दोनों दिनों सहित)।

http://indiabudget.nic.in